कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़

Phone: 05462-246572(Call Center) 246398(Office) Email: adeo-aza@nic.in
Website-www.azamgarh.nic.in/deoazamgarh/index.html or www.deoazamgarh.blogspot.com

पत्र संख्या– 569 /निर्वाचन–स्वीप/2020–21 दिनांक– 23 अक्टूबर, 2021

प्रेस विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक–01 अक्टूबर, 2021 के कम में प्रत्येक माह की 10 एवं 11 तारीख तथा 25 एवं 26 तारीख को प्रत्येक ग्राम सभा में चुनाव पाठशाला आयोजित की जानी है, जिसमें वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधान, प्रधान के निर्वाचन में दूसरे नं० के प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आशा, ए०एन०एम०, बी०एल०ओ०/आगनवाडी कार्यकत्री, पंचायत सचिव, लेखपाल/सुपरवाइजर, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विद्यालय के अध्यापक, चौकीदार, एन०आर०एल०एम० समूह, कोटेदार, वीट सिपाही एवं क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति उपस्थित होगे। चुनाव पाठशाला में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगीः–

- वोटर लिस्ट में नाम कैसे पंजीकरण कराया जाय।
- वोटर लिस्ट में नाम सम्मिलित कराये जाने की पात्रता।
- नाम पंजीकृत कराने हेतु फार्म–6 के साथ संलग्न होने वाले अभिलेख।
- 18–19 आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं का चिन्हांकन।
- युवा नागरिक जिनके नाम अभी तक वोटर लिस्ट में सम्मिलित नहीं है के नाम सम्मिलित कराने हेतु जागरूकता।
- महिलाओं के नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु जागरूकता।
- 80+ एवं दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन एवं पोस्टल बैलेट की सुविधा से अवगत कराया जाना।
- मतदान का महत्व।
- ई०वी०एम०/वी०वी०पैट के प्रयोग से चुनाव प्रकिया की प्रमाणिकता।
- इनमें से कोई नहीं (NOTA) का प्रयोग कब करें।

जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील की जाती है कि दिनांक–25 एवं 26 अक्टूबर, 2021 को अपने ग्राम सभा में आयोजित उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें तथा यदि आपका अथवा आपके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो बी०एल०ओ०/आंगनवाडी कार्यकत्री को नोट करा दे, जिससे 01 नवम्बर, 2021 से प्रारम्भ होने वाले निर्वाचक नामावलियों की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में आपका नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किया जा सके।

(नरेन्द्र सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
आजमगढ़।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी स्वीप महोदय को सूचनार्थ।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि चुनाव पाठशाला में संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि आशा एवं ए०एन०एम० को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को जिला के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

23.10.21
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
आजमगढ़।

497 | Sandeep